न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील डिक्री/टी ए/8314/2001/ जोधपुर

1. बुधाराम पुत्र मीकाराम
2. छगनी राम पुत्र श्री मीकाराम
3. पीराराम उर्फ ईसरा राम पुत्री मीकाराम
   जाति जाट निवासी भीरकाली, तहसील एवं जिला जोधपुर।

अपीलार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर।

एकल पीठ
श्री सतीश चन्द्र गोदारा सदस्य

उपस्थित
श्री अमृतपाल सिंह अभिभाषक अपीलार्थी

निर्णय

दिनांक 09.02.2021

1. यह अपील राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25–6–2001 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. इस अपील में मण्डल के माननीय सदस्य श्री कमल नयन श्रीमाल एवं श्री बी.एल. मीणा सदस्यगण के भिन्न भिन्न मत होने के कारण तृतीय सदस्य के रूप में यह अपील बहस हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत हुई है।

3. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का तर्क है कि खसरा नं. 34 रकबा 22 बीघा मौजा बीरकाली तहसील एवं जिला जोधपुर में स्थित आराजी पर उनका संवत 2000 से पूर्व कब्जा है जिसका अंकन नकल खसरा गिरदावरीयों में किया हुआ है। उक्त रिकार्ड विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया हुआ है इसलिए अपीलार्थी वादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित कराये जाने के अधिकारी है एवं राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज दुरूस्ती कराने के अधिकारी है।

5. हमने विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी की बहस पर मनन किया एवं मण्डल के माननीय पूर्व सदस्यगण द्वारा पारित निर्णयों का भी अवलोकन किया।

6. अपीलार्थी का मुख्य रूप से कथन रहा है कि विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श 1 नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2010-2011 में अपीलार्थी का नाम दर्ज है अर्थात राजस्थान टीनेन्सी एक्ट प्रभाव में आने के समय 15-10-1955 को बहैसियत गैरबापीदार/गैरखातेदार काबिज थे इसलिए उन्हें खातेदार अधिकार प्राप्त हो गए। उक्त गिरदावरी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि खाना संख्या 6 में वादग्रस्त भूमि को खालसा सिवायचक दर्ज है। उक्त गिरदावरी में भीका पुत्र आसु का नाम दर्ज है। परन्तु इस इन्द्राज से यह सिद्ध नहीं होता कि उस समय भीका पुत्र आसु को बापीदार या गैर बापीदार के हैसियत से दे दी गई थी। उक्त दस्तावेज में वादग्रस्त आराजी खालसा भूमि बताया गया। अपीलार्थी के पूवर्ज भीका को न तो गैर बापीदार अंकित किया गया है और न ही बापीदार बताया गया है।

सम्वत 2012 में भीका का नाम दर्ज है किन्तु उसके नीचे पी.न. 1 लिखा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी के पूर्वज भीका वादग्रस्त आराजी पर अतिक्रमी के रूप में काबिज था। इसके अतिरिक्त खसरा परिवर्तनशील में उसका नाम बतौर अतिक्रमी दर्ज हुआ होगा। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में खसरा गिरदावरी में नाम अंकित होने मात्र से खातेदारी दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। खातेदारी प्राप्त करने के लिए यह सिद्ध करना आवश्यक है कि काबिज व्यक्ति राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनांक 15–10–1955 को राज्य सरकार व काबिज व्यक्ति के मध्य हुए एक संविदा के अन्तर्गत काबिज है, अर्थात राज्य सरकार ने उससे लगान लेकर उसे काबिज रहने की अनुमति दी हो। वर्तमान प्रकरण में प्रस्तुत खसरा गिरदावरीयों में अपीलार्थी अथवा उसके पूर्वज भीका न तो गैर बापीदार दर्ज है और न बापीदार दर्ज हुए है। न ही सम्वत 2012 में लगान देने का कोई सबूत पेश किया है। अपीलार्थीगण वादीगण को विचारण न्यायालय के समक्ष यह साबित करना था कि वह सम्वत 2012 में किसी विधिवत अधिकार के साथ वादग्रस्त आराजी पर काबिज थे।

7. मौखिक साक्ष्य में गवाह बाबूलाल जिसकी उम्र 40 वर्ष है ने कथन किया है कि वह अपनी समझ समझाईश से वादीगण का कब्जा दिख रहा है। जिरह में यह भी स्वीकार करता है कि वादीगण ने लगान जमा नहीं कराया है। यह भी मानता है कि भूमि को कुर्क जरूर किया गया था। इस प्रकार वादीगण का स्वतंत्र गवाह स्पष्ट रूप से यह स्वीकार कर रहा है कि अपीलार्थीगण वादीगण ने कभी लगान जमा नहीं कराया है और यह भूमि कुर्क होती रही है। बुधाराम अपने बयान में

यह कथन करता है कि उसके पिता भीका जी ने इस भूमि पर कितने साल काश्त की, उसे याद नहीं है और यह भी नहीं बताया कि उसके पिता या दादा ने इस भूमि के बाबत लगान अदा किया हो। इसके अलावा छगनी राम ने भी अपने बयानों में यह बात बिलकुल नहीं कही है कि उसने या उसके पिता अथवा उसके दादा ने वादग्रस्त भूमि का लगान अदा किया हो। वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी अथवा उसके पूर्वज भीका का कब्जा एक अतिक्रमी की हैसियत से रहा है जिनको वादग्रस्त आराजी से बार बार बेदखल कर आराजी को कुर्क किया गया है। दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर बिना किसी ठोस आधार के हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ए आई आर 1999 एस सी पेज2213 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि–

Second appeal- Relief cannot be granted merely on equitable grounds-Concurrent finding of facts however erroneous-Cannot be interfered with.
RRT 2001 page 883- Rajasthan Tenancy Act1955- Section 224readwith Section100,Code of Civil Procedure 1908-Both the lower Courts has concurrently on facts held that the plaintiff is not tenant and he has not acquired title by sale deed- Therefore in this cecond appeal unless it is found that the findigs recorded are illegal or perverse in nuture, till lthen this court cannot disturb the concureent findings recorded by the Court below as held in AIR1959S.C.page 57-Hence this second appeal was dismissed.

8. उपरोक्त विवेचन विश्लेषण एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सतीश चन्द्र गोदारा)
सदस्य